उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

सेवा में,

श्री मुकुंद जायसवाल, (मालिक)
जायसवाल भवन,
कोल्गवा, सतना,
जिला – सतना, मध्य प्रदेश -**485001**
ईमेल – **avinash@sbearth.com**

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में आपकी बिरहुली चूनापत्थर खान (29.951 हेक्टेयर), माइन कोड – 38MPR426001 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 28.12.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री अविनाश जायसवाल , (पट्टाधारी प्रतिनिधि), श्री मिथलेश चौधरी, खनन अभियंता एवं श्री बी. एन. मिश्रा, खनन भूविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया | उक्त खदान की खनन योजना को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/सतना /LIMESTONE/MPLN/G-08/2013-14 दिनांक09 .07.2014 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं के तारतम्य में निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर के 2017निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है..

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
11 (1)	खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा। **1. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच में 13 नग बोर होल्स का प्रस्ताव था। परन्तु अन्वेषण का कार्य बिलकुल ही नहीं किया गया।** **2. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में निरीक्षण दिनांक तक, ग्रिड अन्तराल 2722650N-2722810N से 490680E-490860 (पिलर संख्या 5 एवं 6 से लगे हुए क्षेत्र) में उत्पादन एवं विकास कार्य प्रस्तावित था। किन्तु उत्पादन एवं विकास कार्य प्रस्तावित जगह से भिन्न ग्रिड अन्तराल 2722460N-2722540N से 490775E-490900 (पिलर संख्या 7 एवं 8 से लगे हुए क्षेत्र) में किया गया ।** **3. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 29540 M³ ओवर बर्डन हटाने का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान केवल 23904 M³ ओवर बर्डन हटाया गया।** **4. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 98200 टन चूना पत्थर उत्पादन का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान केवल 31170 टन चूना पत्थर का उत्पादन किया गया ।** **खदान में विकास कार्य के साथ-साथ उत्पादन में भी कमी पायी गई है।**

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर –2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर –2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर –2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

I/24465/2024

भवदीय,

Signed by Madhavrao Sabre
Date: 30-01-2024 10:16:00
Reason: Approved

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला – सतना (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो